राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	195 / 2024	कल्पना जैमन	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अलवर, राजस्थान।
2.	196 / 2024	सतेन्द्र कुमार	

आदेश की दिनांक : 21.02.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अमित माथुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थीगण को काउंसलिंग के आधार पर आदेश दिनांक 29.09.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा पदस्थापित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी कल्पना जैमन को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Nangal Todiyar ब्लॉक मालाखेड़ा एंव अपीलार्थी सतेन्द्र कुमार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Baghoda ब्लॉक Kishangarhbas पदस्थापित किये जाने के आदेश दिये गए। बाद में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर ने दिनांक 04.10.2023 को यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थीगण को आवंटित विद्यालयों में बालवाटिका संचालित नहीं होने के कारण उन्हें कार्यग्रहण नहीं कराया जा सकता और इस आधार पर अपीलार्थीगण को उनकी काउंसलिंग के उपरांत दिये गये पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित नहीं कर उन्हें आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया। इसके पश्चात अपीलार्थीगण के संबंध में पुनः काउंसलिंग करवाई जाकर आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी कल्पना जैमन को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खानपुर, तिजारा एवं सतेन्द्र कुमार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कोठिया, Bansur विद्यालयों में पदस्थापन हेतु आदेश पारित किये गये। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि उन्होनें अनुलग्नक–1 की पालना में अभी कार्यग्रहण नहीं किया है। उनका आगे कथन है कि पूर्व में जब काउंसलिंग की गई थी, तब प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थीगण को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर

पदस्थापित किया था। वह पदस्थापन इस कारण से गलत किया गया कि काउंसलिंग के समय उन विद्यालयों के बारे में गलत सूचना दी गई थी कि उन विद्यालयों में बालवाटिका संचालित है, जबकि वहां बालवाटिका संचालित नहीं थी। गलत सूचना के आधार पर अपीलार्थीगण ने काउंसलिंग में उन विद्यालयों का चयन किया, जिसमें बालवाटिका संचालित नहीं थी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण को काउंसलिंग के उपरांत गलत सूचना के आधार पर काउंसलिंग में मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया है, जिसमें अपीलार्थीगण की कोई गलती नहीं है। बाद में आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जो पदस्थापन आदेश जारी किया गया है, वह अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर नहीं है।

2. हमनें अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

3. चूंकि वर्तमान में काउंसलिंग के पश्चात अधिकतर विद्यालयों में पदस्थापन किया जा चुका है। ऐसे में अब समस्त अध्यापकों का काउंसलिंग के उपरांत दिये गये विद्यालयों में हुये पदस्थापनों को बदला जाना उचित नहीं है और इस कारण से पुनः काउंसलिंग कराने के आदेश भी नहीं दिये जा सकते हैं। परंतु यह बात भी प्रकट हुई है कि अपीलार्थीगण को काउंसलिंग के समय मिलने वाले लाभ गलत सूचना के कारण नहीं मिले हैं।

4. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीगण की अपीलों का निस्तारण इस आधार पर किया जाता है कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी विभाग को वर्तमान में रिक्त पदों की सूचना व उन रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु अपना अपना अभ्यावेदन प्रेषित करेंगे। जिस अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थीगण के संबंध में पुनः विचार कर अपीलार्थीगण के संबंध में पदस्थापन के लिये निये सिरे से आदेश पारित करेगी।

5. अपीलार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के एक सप्ताह में प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थीगण के संबंध में आदेश पारित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश के साथ उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

6. मूल आदेश अपील संख्या 195/2024 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति अपील संख्या 196/2024 में रखी जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)